भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 215

25.11.2024 को उत्तर के लिए

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

215. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का द्वीप समूह की पारिस्थितिकी पर विशेष रूप से उक्त परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अवसंरचना उन्नयन के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा द्वीप समूह की समुद्री और स्थलीय जैव-विविधता पर खतरे से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है;

(ग) राष्ट्रीय हरित अधिकारण (एनजीटी) के अंतर्गत पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने के लिए किन-किन दिशानिर्देशों का सुझाव दिया गया है; और

(घ) क्या उक्त समिति का गठन कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के विकास से जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय इस द्वीप की पारिस्थितिकी पर संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर यथोचित विचार करने के बाद और साथ ही विकास परियोजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व को भी ध्यान में रखकर लिया गया है। समय-समय पर संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार, अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं और/या कार्यकलापों या मौजूदा परियोजनाओं या कार्यकलापों के आधुनिकीकरण के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है। पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में प्रभावों के आकलन के लिए परियोजना की जांच और स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन जैसे विभिन्न चरणों के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन योजना को तैयार करना शामिल है।

ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने के एक भाग के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए कई अध्ययन किए गए और उनके परिणामस्वरूप उपशमन उपायों के संबंध में अध्ययन शीर्षस्थ वैधानिक और गैर-वैधानिक निकायों, जैसे कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ज़ेडएसआई), सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डबल्यूआईआई), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) आदि जैसे विशेष कौशल वाले स्वायत्तशासी संगठनों को भी शामिल किया गया था।

परियोजना के मूल्यांकन के दौरान विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट की विस्तृत जांच की गई। दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में समुद्री और स्थलीय जैव विविधता की सुरक्षा के लिए परियोजना के प्रत्येक घटक से संबंधित 42 विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए तीन स्वतंत्र निगरानी समितियों नामतः (i) प्रदूषण संबंधी मामलों की देखरेख समिति (ii) जैव विविधता संबंधी मामलों की देखरेख समिति (iii) शोम्पेन और निकोबारी व्यक्तियों के कल्याण और उनसे संबंधित मुद्दों की देखरेख समिति का भी पर्यावरणीय मंजूरी पत्र में प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, एनजीटी के दिनांक 03/04/2023 के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति (एचपीसी) का भी गठन किया गया था।

*****